

कार्यालय उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर

क्रमांक :- एफ(उपवन)/सर्व/2018-19/
निमित्त,

6876

दिनांक :- 16-7-2018

श्रीमान् संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
बीकानेर।

विषय:- Construction of Service Road from Shiv Circle to Govt. Hospital (West Side of NH 62) Sriganganagar" and construction of Service Road from Shiv Circle to Govt. Hospital (East Side of NH 62) Sriganganagar के निर्माण कार्य हेतु 0.99 हेक्टर प्रत्यावर्तन वाक्य।

Proposal No. (FP/RJ/ROAD/34144/2018)

संदर्भ :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज0 जयपुर का पत्रांक F14(Road)2018/FCA/PCCF/EDS-1 Jaipur dated 09.07.18

महोदय,

नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर के द्वारा वन मण्डल श्रीगंगानगर क्षेत्र में एनएच-15(62) के साथ-साथ Construction of Service Road from Shiv Circle to Govt. Hospital (West Side of NH 62) Sriganganagar" and construction of Service Road from Shiv Circle to Govt. Hospital (East Side of NH 62) Sriganganagar के निर्माण कार्य हेतु 0.99 हे० वन भूमि अनासक्त हेतु प्रेषित प्रस्ताव सं. FP/RJ/Road/34144/2018 dated 14.6.2018 के सम्बन्ध में चाही गई सूचना बिन्दुवार सेवा में प्रेषित है :-

क्र. सं.	बिन्दु का विवरण	प्रतिउत्तर
1	उप वन संरक्षक श्रीगंगानगर द्वारा स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में प्रस्तावित वन भूमि की विधिक स्थिति स्पष्ट नहीं कि गई है।	उक्त भूमि राजस्थान सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 05.08.1978 के अनुसार एनएच-15(62) के दोनों ओर प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट लैंड है। नोटिफिकेशन कि प्रति पूर्व में दिये गये प्रस्ताव में संलग्न है। संशोधित स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में विधिक स्थिति का अंकन कर संलग्न है।
2	उप वन संरक्षक श्रीगंगानगर के द्वारा पालन किये जाने वाले वृक्षों की चैनेज अनुसार संलग्न नहीं कि गई है।	मौका नक्शानुसार स्थित पेड़ों का चैनेज अनुसार सूची संलग्न है।
3	उप वन संरक्षक श्रीगंगानगर के द्वारा प्रस्ताव के पार्ट सं-2 के बिन्दु सं.05 में प्रस्तावित वन भूमि का कार्य आधोजनन विवरण संलग्न नहीं किया गया है।	Both Side of Metal Road of the existing road NH-15(62) declared as Protected Forest and used as social forestry purposes.
4	उप वन संरक्षक श्रीगंगानगर के द्वारा प्रस्ताव के पार्ट सं-2 के बिन्दु सं.06 में Negligible effect अंकित किया गया है उक्त का प्रभाव कितनी मात्रा में होगा एवं उसे रोके जाने के क्या उपाय प्रस्तावित है स्पष्ट नहीं किया गया है।	नौके पर सड़क के दोनों तरफ, सड़क सीमा के पश्चात भवन निर्माण हो चुके हैं। जिसके कारण erosion पर प्रभाव not worthable है। प्रस्ताव के बिन्दु संख्या 06 में उक्त प्रविष्टि सही कर दी गई है।
5	1. उप वन संरक्षक श्रीगंगानगर के द्वारा 100 वृक्षों की क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की योजना संलग्न जिसमें निम्न बिन्दुओं पर टिप्पणी प्रस्तावित है :- 1. प्रस्तावित परत्यावर्तित वन भूमि रेंज श्रीगंगानगर की है जबकि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण विखवाल रेंज में लिया गया है। 2. प्रस्ताव में सड़क चौड़ाईकरण किया जाना है जिसकी एवज में 100 वृक्षों का वृक्षारोपण 1.58 हेक्टेयर में प्रस्तावित किया जाकर 53400/-की योजना संलग्न कि गई है जो प्रस्तावित क्षेत्र की वृक्षारोपण राशि से कम है अतः संशोधित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना मय मुख्य वन संरक्षक से अनुमोदित कराई जाकर संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	1. प्रस्तावित प्रत्यावर्तित वन भूमि रेंज श्रीगंगानगर की है, परन्तु श्रीगंगानगर रेंज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्थल विखवाल रेंज में लिया गया है, जो कि श्रीगंगानगर डिविजन के अधीन है। 2. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन के माडल एंटीमिट के आधार पर 100 वृक्षों के वृक्षारोपण की संशोधित स्कीम तैयार कर संलग्न कर दी गई है। जिसके अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना पर व्यय 537577.50/- रु. है।

भवदीय

(सुप्रीम शशी IFS)

उप वन संरक्षक

श्रीगंगानगर

दिनांक

उप वन संरक्षक

श्रीगंगानगर (राज.)

16-7-18

क्रमांक :- सम/ 6877

श्रीमान् अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राज0 जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रस्तुत है।

उप वन संरक्षक

श्रीगंगानगर